पूर्वानुसार दि. ....को पेश हो।

31.5.22 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।
दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन
किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील छाड़साना
के चक 22 A S-B के प.नं. 124/51
के कि.नं. 3 ता 5 साबम, 11/3 की 0.063
कुल 0.822 हैक्टेयर भूमि के राजस्व
रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से
नारायण राम दर्ज कर दिया गया है जबकि
प्रार्थी का सही नाम विकास कुमार पुत्र
सोहनलाल है जो कि समस्त दस्तावेजों
में भी विकास कुमार पुत्र सोहनलाल

दर्ज है। इसलिए उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम नारायण राम पुत्र सोहनलाल के स्थान पर दुरूस्त करते हुए विमल कुमार पुत्र सोहनलाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकन है कि वादग्रस्त भूमि दिनांक 06.05.1997 को जरिये बैयनामा खरीदशुदा है। उक्त बैयनामा में निरायणराम पुत्र सोहनलाल जाति बावरी अंकित है। इसलिए प्रार्थना पत्र 136 LR Act निरस्त योग्य है।

उक्तानुसार विवेचना करने के बाद न्यायालय का मत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी द्वारा जरिये बैयनामा खरीदशुदा है एवं बैयनामा में प्रार्थी का नाम निरायण - राम पुत्र सोहनलाल अंकित है जिसके आधार पर ही जमाबंदी में प्रार्थी का नाम निरायणराम पुत्र सोहनलाल दर्ज हुआ। राजस्व रिकॉर्ड में विमल कुमार के स्थान पर सहवन से निरायणराम दर्ज होने का कोई भी ठोस आधार अथवा दस्तावेज प्रार्थी / वकील प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना

फर्द अहकाम

... हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 31.05.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (अभिलाषा) उपखण्ड अधिकारी घडसाना	